

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

दमा संख्या :- 92/2022 प्रा0फर

1. ~~रुकमण्डेरी~~ ~~मोठे~~ ~~लाज~~ ~~गुप्ती~~ ~~लि०~~ ~~मेडुवा~~ ~~-~~ ~~वट०~~ ~~खी~~ ~~-~~ ~~का०~~  
प्रार्थी.....

बनाम

1. ~~मोठे~~ ~~लाज~~ ~~लि०~~ ~~मेडुवा~~ ~~-~~ ~~वट०~~ ~~खी~~ ~~-~~ ~~का०~~  
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 28/3/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम ~~मेडुवा~~ पटवार हल्का ~~मेडुवा~~ तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्तों की खाता संख्या ~~3~~ आराजी नम्बर ~~64/1~~ ~~652/1~~ ~~0-2529~~ / ~~0-3035~~

..... कुल किता ~~2~~ रकबा ~~0.5584~~  
टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ~~28/3/22~~ को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी ने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....  
~~मेडुवा~~ पटवार हल्का ~~मेडुवा~~ तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या  
आराजी नम्बर ~~64/1~~ ~~652/1~~ ~~0-2529~~ / ~~0-3035~~

..... कुल किता ~~2~~ रकबा ~~0.5564~~  
इक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-  
नेख निरीक्षक ~~निररुवा~~ को ~~500/-~~ रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की रगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर गढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

त:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा जिला भीलवाडा

नपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
करेडा जिला भीलवाडा